

सेवा में,

अधिकांसी अभियन्ता,
कनहर निर्माण खण्ड-वैदीय,
पिपरी-सोनमढ़।

विषय-

वनपट्ट सोनमढ़ में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेजुकेट वन प्रभाग की 103.6750 हे० आरक्षित वन भूमि तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि अधिन केल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-383/11-सी-एफ पी/यू०पी० /सिचाई/20269/2016/दिनांक 10.08.2017

महोदय

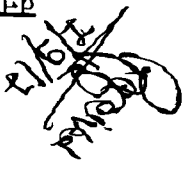
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में रेजुकेट वन प्रभाग एवं ओबरा वन प्रभाग की उचित्वित बिन्दु की आपत्ति के निराकरण कर इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। प्रेषित किये गये आलेख का अवलोकन करने पर निम्न कमियां परिजहित है-

1. आरक्षित वन भूमि के बदले समुल्लेख गैर वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुपक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है।

2. भारत सरकार के निर्धारित माध्यम में पूर्व परियोजना का लागत-लाभ विश्लेषण भारत सरकार के पत्र संख्या-166/14-2-2017-800(103)/2017 दिनांक 28.08.2017 जो 01.08.2017 से प्रभावी है की छायापति संलग्न कर प्रेषित है, के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्राक्कलन संलग्न की जाये।

अतः उपरोक्त बिन्दु के साथ संदर्भित पत्र के प्रत्येक बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित प्रमाणिय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


29/9/17

संख्या 1107 अ/समादिनांक।
प्रतिलिपि-प्रमाणिय वनाधिकारी, रेजुकेट एवं ओबरा की संदर्भित पत्र के कम से सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

(10 प्रमाकर दृष्टि)

महोदय
29/9/17

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

(10 प्रमाकर दृष्टि)

29/9/17